<u>दावा प्रकरण क्रमांक 106/2025</u>

(ईश्वर प्रसाद अना. साक्षी क्र. 02)

<u>दिनांक 10/07/2026</u>

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्री एन.के. जोगी अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र. 01 एव 02</u>

01. मैं ग्राम बरबसपुर, थाना व जिला महासमुंद का निवासी हूं । मेरे पास मोटरसायकिल चलाने का लायसेंस है । मेरा ड्राईविंग लायसेंस क्रमांक CG0620140003988 है, जो दिनांक 27/09/2014 से 26/09/2034 तक की अवधि के लिए हल्का मोटरयान एवं मोटरसायकिल विथ गेयर के लिए जारी हुआ है ।

02. आज मैं अपने साथ ड्रायविंग लायसेंस की असल लेकर उपस्थित हुआ हूं। ड्रायविंग लायसेंस **प्रदर्श एन ए 02** है, प्रकरण में संलग्न ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति जिसे मूल से मिलान किया गया **प्रदर्श एन ए 02 सी** है ।

03. दिनांक 05/04/2025 को मेरे द्वारा चलाए जा रहे वाहन मोटरसायकिल क्रमांक सी जी 06 जी जेड 3853 का बीमा यूनिवर्सल शोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित थी । जिसका पॉलिसी क्रमांक 2369/71819376/00/000 है, जो दिनांक 22/10/2023 से 31/10/2028 तक की अवधि के लिए बीमित है । आज मैं अपने साथ बीमा पॉलिसी का असल लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो **प्रदर्श एन ए 03** है, प्रकरण में बीमा पॉलिसी की छायाप्रति जिसे मूल से मिलान किया गया **प्रदर्श एन ए 03 सी** है ।

दावा प्रकरण क्रमांक 106/2025

(ईश्वर प्रसाद अना. साक्षी क्र. 02)

प्रतिपरीक्षण द्वारा योगेश चन्द्राकर अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण :–

04. यह कहना गलत है कि उक्त दुर्घटना में मेरी लापरवाही थी । यह कहना सही है कि उक्त दुर्घटना में मेरी कोई लापरवाही नहीं थी इस संबंध में किसी भी सक्षम अधिकारी के पास मेरे द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ओ०पी० साहू अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र. 03

05. यह कहना सही है कि उक्त दुर्घटना में मेरी कोई लापरवाही नहीं थी, मोटरसायकिल क्रमांक सी जी 06 सी जेड 4142 के चालक स्वयं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मेरी मोटरसायकिल से टकरा गया था ।

06. यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति राशि देने से बचने के लिए मेरे द्वारा अपना ड्रायविंग लायसेंस फर्जी रुप से तैयार कर प्रकरण में पेश किया हूं । यह कहना गलत है कि दिनांक 05/04/2025 को मेरे पास मोटरसायकिल चलाने के लिए वैध लायसेंस नहीं था ।

साक्षी को पढकर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया ।
सही/-
(श्रीमती अनिता डहरिया)
प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
महासमुंद (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।
सही/-
(श्रीमती अनिता डहरिया)
प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
महासमुंद (छ.ग.)

साक्षी के हस्ताक्षर